


6660/07

65



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 751354



29 OCT 2007

565

बयनामा

बयनामा	5,21,000 / -रु०
मालियत	4,87,500 / -रु०
स्टाम्प	52,100 / -रु०

80
5564
243

हम कि रामप्रशाद पुत्र श्री छिददा निवासी ग्राम पाकवड़ा परगना व
जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता) व लोहिया डेवलपर्स इण्डिया

रामप्रशाद




NK



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 751355



29 OCT 2007

2

प्रा० लिमिटेड लाकड़ी फाजलपुर दिल्ली रोड, मुरादाबाद द्वारा
डायरेक्टर श्री विभोर कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता
निवासी 132, लाजपत नगर शहर व जिला मुरादाबाद द्वितीय पक्ष
(क्रेता), के हैं।

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी/खाता सं० 532 खसरा सं०
613 रकबई 0.607 हेक्टे० लगानी सालाना 15.00 रु० बाकै ग्राम

१५ २१/१०/०७



NKUBK



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 751356



3

पाकवड़ा तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर विक्रेतागण बहैसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हैं। प्रथम पक्ष को इस आराजी की बावत विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा प्रथम पक्ष को अपने भाग को विक्रय करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं है विक्रय की जाने वाली आराजी इस बक्त तक हर किस्म के बार, लोन सरकारी या गैर सरकारी व कुर्की व

श-रामप्राप्त

NKunk



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 751216



4

किफालत व नीलामी बगैरहा से कतई बरी पाक व साफ है गरज यह कि विक्रीत आराजी पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा ना ही इस आराजी पर किसी प्रकार का कोई बकाया आदि है तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति का विक्रय की जाने वाली आराजी में कोई हक व हिस्सा है तथा विक्रय की जाने वाली आराजी की बावत हम प्रथम पक्ष विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति को कोई

श. राम प्रसाद

विक्रेता

कुमार उज्ज्वल
श्री राजेश शर्मा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 750644



इकरारनामा या बयनामा नही किया है। तथा न ही इस आराजी की बावत द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से कोई धनराशि प्राप्त की है। आराजी वक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नही है। चूंकि कीमत भी मुनासिब मिल रही है लिहाजा हम प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने खूब सोच व समझकर बिना बहकायें व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के पूर्णतः अपनी सदबुद्धि से यह

M 21/11/11



Nkub

रु. 37158
रु. 37158



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 751345



29 OCT 2007

6

आराजी मुबलिंग 5,21,000/-रूपये (पाँच लाख इक्कीस हजार) रूपये आधे जिसके 2,60,500/-रूपये (दो लाख साठ हजार पाँच सौ) रूपये होते है द्वितीय पक्ष क्रेता (लोहिया डेवलपर्स इण्डिया प्रा0 लिमिटेड लाकड़ी फाजलपुर दिल्ली रोड, मुरादाबाद द्वारा डायरेक्टर श्री विभोर कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायन कुमार गुप्ता निवासी 132, लाजपत नगर शहर व जिला मुरादाबाद) को वय और फरोख्त

B रामयुक्त



Nkupts

शुभार उपा...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 7494



18 OCT 2007

7

कामिल करके कुल जरे समन उसका हस्व तपसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमामी शय मुबइया मजकूर वाला का कब्जा ब दखल द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे दिया है आज के बाद से आराजी मजकूर की बाबत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व वारिसान प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता बाकी नही रहा है और न ही आइन्दा होगा द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल होगा कि

Handwritten signature and a green ink smudge.

Handwritten signature.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 749464



18 OCT 2007

8

वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले अगर बाद को किसी बक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जखाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या बगरज तहफ्फुज शय मुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता)

Pr. Ramprasad

Nk. 4/16



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 749465



1 8 2017 9037

9

का कुल सर्फा मजीद खर्चा या अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की वापसी का प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हरजे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता) होगा वनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियां प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होंगी अब द्वितीय पक्ष (क्रेता)

14/11/17



Nk 4/17



C 441565

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22 OCT 2007



10

को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा लें प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई उज्र व एतराज नही होगा। पक्षकारान के फोटो गवाहान की शिनाख्त पर श्री एस0 माथुर एडवोकेट ने सत्यापित किये।

M. S. MATHUR



Nk. 4/6



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18 OCT 2007

B 749830



11

नोट:-विक्रीत आराजी का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के परिशिष्ट 1 उपखण्ड "ग" के क्रमांक 31 के अनुसार 6,50,000/- रुपये प्रति एकड़ निर्धारित है। उसी पर नियमानुसार स्टाम्प अदा किया गया है। विक्रेता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का



vkntg



C 441114

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18 OCT 2007

12



सदस्य नहीं हैं। आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है। मौके पर तथा आसपास खेती हो रही है। आराजी में कोई पेड़, कूप भवन व वोरिंग आदि नहीं है। विक्रेता उपरोक्त खसरा नम्बर में 0.607



VK vdk




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 NOV 2027

L 351544

13

हेक्टे० भूमि का बहैसियत भूमिधर मालिक है जिसमें से 1/2 भाग
उत्तरी यानि 0.3035 हेक्टे० भूमि इस विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की
है। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से घिरा हुआ दर्शाया गया है।



Nk

तफसील वसूली जरे समन मुबलिंग 5,21,000/-रु० बजरिये पे-आर्डर सं० 898298 दिनांक 31-10-2007 ई० पंजाब नेशनल बैंक इण्टरनेशनल ब्रान्च मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त किये।

ह० विक्रेता

ह० क्रेता

क्रेता

ग०

श्री. म. लाल

ग०

श्री. म. लाल

श्री. म. लाल

श्री. म. लाल

श्री. म. लाल

श्री. म. लाल

श्री. म. लाल

बयनामा हाजा आज दिनांक 06-11-2007 ई० को बमुकाम मुरादाबाद बइकरार पक्षकारान बमशवरा श्री एस० माथुर एडवोकेट सचिन मिश्रा ने टाईप किया।

Sachin



10-12-07

आज दिनांक 06/11/2007 को

वॉल सं 1 जिल्द सं 5564

पृष्ठ सं 243 से 272 पर क्रमांक 5660

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

M. S. Sena

एस०के०सेन


उप निबंधक (द्वितीय)

मुरादाबाद

6/11/2007



नक्शा आराजी काश्त भूमिधरी वाकत खसरा
 सं० 613 खाबई 0.607 हे० का 1/2 भाग ^{उत्तरी} खरण
 सुखी वाकय मौजा पाकवडा त. व. जि. मुरादाबाद
 इफ्तारये: श्री राम प्रसाद
 मौसूमा: लैहिया डैवलपर्स इण्डिया प्रा० लि०
 नोट: विलीत भूमे के 200.0 मी० की त्रिज्या मे खेती हो
 रही है



श्री. राम प्रसाद

TRACED

S P P P
 DRAUGHTSMAN CIV
 COURT Compound
 MURADABAD